डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:
www.dfccil.gov.in

No. 2018/HQ/Admin/RTI-254 **New Delhi: 31.07.2018**

Shri Sanjay Kumar Gupta
Sahayal Road,
Dibiyapur, District – Auraiya
UP-206244

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: 1. Your RTI Application dated 17.07.18 received through DOPT.

Information i. r. o. your above RTI application as received is attached as Annex "A".

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/ Administration DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

(S.K.PANDA)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
***E*-mail: skpanda@dfcc.co.in**
9717636811

Copy to:

Chief Project Manager,
DFCCIL, 3/20, 3rd Floor,
KPS Tower, Mayur Complex,
Nagla Padi, Near Tulsi Cinema,
NH-02, Agra-282 002

For information & Record only

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

TDL/EN/RTI/212 (A)

दिनांक:- 28.07.2018

डी० जी० एम० पी० आई० ओ०
डी० एफ० सी० सी० आई० एल०
नई० दिल्ली,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री संजय कुमार गुप्ता, निवासी- सहायल रोड, दिबियापुर, जनपद औरैया, के द्वारा मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में |

सन्दर्भ:- I आपके कार्यालय के पत्र सं. 2018/HQ/ADMIN/RTI/-254 दिनांक 23.07.2018.
II उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/कानपुर के पत्र संख्या CNB/EN/RTI/16(A) दिनांक-26.07.2018 मुख्य परियोजना प्रबन्धक/टूंडला कार्यालय में पत्र प्राप्ति 27.07.2018.

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र सं. I, के तहत श्री संजय कुमार गुप्ता, निवासी- सहायल रोड, दिबियापुर, जनपद औरैया, की जानकारी के लिया RTI प्राप्त हुई इसकी जानकारी हेतु उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/कानपुर को निर्देशित किया गया | सन्दर्भित पत्र सं. II, के तहत उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/कानपुर से जो जानकारी प्राप्त हुई वह इस पत्र के साथ ***संलग्न*** कर आपको भेजी जा रही है |

सलंग्नक:- 1 प्रष्ट

(सुभाष चन्द्रा)
उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/विधुत/टूंडला

प्रतिलिपि:- 1. मुख्य परियोजना प्रबन्धक/टूंडला को सूचनार्थ हेतु |
2. उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/कानपुर आवश्यक कार्यवाही हेतु |

Office Of Chief Project Manager:- 3/20, 3rd Floor, KPS Tower, Mayur Complex, Nagla Padi,
Near Tulsi Cinema, NH-02, Agra -282002
Telefax: 0562-2885577 E mail,ubkhare@dfcc.co.in, Mob. 7060803000
Website www.dfccil.gov.in

... OFFICE
Dy. No.: 745/2018
Date: 31/7/18
Sign.:

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

पत्रांकः CNB/EN/RTI/16(A)

Date- 26-07-18

सेवा में,

मुख्य परियोजना प्रबन्धक,
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
टुण्डला (आगरा)

विषयः– श्री संजय कुमार गुप्ता, सहायल रोड, दिबियापुर, जनपद–औरैया, द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत मांगी गई सूचना दिनांक 17.07.18 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– डिप्टी जी0एम0 / एण्मीन / पी0आई0ओ0 का पत्राक सं0 2018 / HQ/ADMIN/RTI-254 दिनांक 23.07.18

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक डी0जी0एम0 / एडमीन (पी0आई0ओ0) का पत्रांक सं0 सं0 2018 / HQ/ADMIN/RTI-254 दिनांक 23.07.18 जो आपको सम्बोधित हैं, इस कार्यालय में ई–मेल के माध्यम से दिनांक 24.07.2018 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ हैं। जिसमें, श्री संजय कुमार गुप्ता, सहायल रोड, दिबियापुर, जनपद–औरैया, ने दिनांक 17.07.18 द्वारा सूचनाएं मांगी गई हैं। विषयगत मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में आख्या निम्नलिखित है:–

इस सम्बन्ध में, अवगत कराना है कि डी0एफ0सी0सी0 की परियोजना भूमि अर्जन में *"भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एंव पारदर्शिता का अधिकार, सुधार पुनर्वास अधिनियम, 2013"* डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 मुख्यालय नई दिल्ली के निर्णयानुसार दिनांक 01.01.2015 के बाद से लागू हुआ हैं। जिसमें प्रभावित कृषि भूमि व अन्य भूमि का मूल्यांकन तत्समय प्रचलित जिला मूल्यांकन सूची में भूमि की स्थिति के अनुसार उल्लिखित प्रतिकर की दर के अनुरूप तथा अधिनियम की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अर्जित भूमि का प्रतिकर का निर्धारण सक्षम अधिकारी द्वारा अभिनिर्णय घोषित किया जाता हैं।

उक्त अधिनियम की प्रतिलिपि भारत सरकार की विभिन्न बेवसाइटों के माध्यम से प्रार्थी प्राप्त कर सकता हैं तथा जिला मूल्यांकन सूची रजिस्ट्रार जनपद –औरैया व उप निबन्धक, कार्यालय तहसील–बिधूना व उप निबन्धक, कार्यालय तहसील–औरैया सदर जनपद– औरैया में उपलब्ध है। प्रार्थी अपनी आवश्यकतानुसार जिला मूल्यांकन सूची की प्रति अंकित कार्यालय से प्राप्त कर सकता हैं।

जिला मूल्यांकन सूची में भूमि की स्थिति के अनुरूप भूमि की दरों का उल्लेख हैं। जनपद –औरैया, इटावा व कानपुर देहात की कृषि भूमि, निकट आबादी की भूमि व अन्य प्रकार की भूमि तथा उसमे निर्मित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन भी सम्बन्धित जनपदों के प्रचलित जिला मूल्यांकन सूची में उल्लिखित दरों के अनुरूप करते हुए प्रतिकर का निर्धारण उक्त अधिनियम *"भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एंव पारदर्शिता का अधिकार, सुधार पुनर्वास अधिनियम, 2013"* के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता हैं।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होने का कष्ट करें।

26/7/2018

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी.एफ.सी.सी.आई.एल / कानपुर।

Office Of Dy.Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur – 208025
Telefax: 0512-,2225124 Mobile 7060803012 E mail – bsjaryal@dfcc.co.in, *Website* www.dfccil.gov.in